(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Environment clearance for lease of marble quarries near Ambaji in Gujarat

2217. SRRI VITHALBHAI M. PATEL : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the proposal of Forests and Environment Department of Gujarat to permit them to lease marble quarries in Ambaji forest area in Banaskantha in that State has been pending with Government since long ;

(b) if so, whether Government are aware of the mass unemployment caused due to closure of these quarries due to non-clearance of the proposal ; and

(c) if so, by when the proposal is likely to be given clearance ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (MRS. MANEKA GANDHI): (a) & (c) A proposal for denotification of 198.28 hect. of marble mining lease area Ambaji in Banaskantha district of Gujarat State was received by the Central Government in July 1988 for according clearance under Forest (Conservation) Act, 1980. However, no proposal for clearance from Environmental angle has so far been received in this Ministry. The forest clearance and environment clearance are to be given simultaneously.

(b) Information is being collected from State Government and will be laid on the Table of the House.

देश में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्व्यवस्थापन

2218. **श्री राम नरेश यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्हें अभी पुनर्व्यस्थापित किया जाना है ;

(ख) क्या सरकार उन्हें पुनर्व्यवस्थापित करने के संबंध में कोई योजना बना रही है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. राजा रमन्ना) : (क) विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के संबंध में रखे गए चालू रजिस्टरों के अनुसार 1-1-1990 को 2,59,780 भूतपूर्व सैनिकों के लिए अभी रोजगार उपलब्ध कराया जाना है ।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है । केन्द्र सरकार ने, केन्द्रीय सरकार के विभागों और राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और समूह "घ" के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है । अधिकतर राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सिविल पद अलग-अलग मात्रा में आरक्षित करने की व्यवस्था की है । इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों को स्वःरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं । इनमें "सेमफेक्स-1" योजना शामिल है । इस योजना के अंतर्गत लघु उद्योग स्थापित करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । "सेमफेक्स-2" योजना के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी कृषि और गैर-कृषि काम धन्धे शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियां आबंटित की जाती हैं, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की ऐजेंसियों को आबंटन किया जाता है, कोयले एवं पैट्रोलियम उत्पादों के लिए परिवहन ऐजेंसियां दी जाती हैं, भूतपूर्व सैनिकों की लघु उद्योग यूनिटों द्वारा रक्षा स्थापनाओं को सप्लाई किए गए सामान की कीमत पर आर्थिक सहायता दी जाती है, इत्यादि ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी के हरिश्चन्द्र एवं मणिकर्णिका घाटों पर शवों को जलाने से होने वाला प्रदूषण

2219. श्री राम नरेश यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाराणसी में हरिश्चन्द्र तथा मणिकर्णिका घाटों पर शवों को जलाने से उठने वाली चिरांध के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने और साथ ही गंगा नदी में अधजले शवों और राख इत्यादि को बहाने से होने वाले गंगा जल के प्रदूषण को रोकने के लिए भी कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार गंगा जल तथा वाराणसी को कब तक प्रदूषण मुक्त कर देने का विचार रखती है और उस पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) मणिकर्णिका घाट पर कोई शवदाहगृह नहीं है । राज्य सरकार ने हरिश्चन्द्र घाट पर एक शवदाहगृह का निर्माण किया है, जो कार्य कर रहा है । शवदाहगृह के प्रयोग से, पारंपरिक तरीके से शवों को जलाने से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण में कमी आएगी । गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत पुलिस द्वारा घाटों पर नालों में गश्त लगाने के लिए एक स्कीम स्वीकृत की गई है जिसके द्वारा शवों और पशुओं की ठठरियों को नदी में प्रवाहित करने से रोका जा सकेगा ।

(ग) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत, वाराणसी के लिए 41.35 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 35 स्कीमें संस्वीकृत की गई हैं । इसमें, 3 सीवेज उपचार संयंत्र, 12 अवरोधन और दिशा-परिवर्तन स्कीमें, 4 नदी तटाग्र सुविधाएं, 3 अल्प-लागत स्वच्छता कार्य और 13 अन्य स्कीमें जिसमें प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं को जल में छोड़ने का कार्य, सीवर लाईनों की सफाई इत्यादि शामिल है । संस्वीकृत स्कीमों में 25 पहले ही पूरी की जा चुकी हैं तथा शेष के आठवीं पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष तक पूरा हो जाने की आशा है । तब तक बड़ी संख्या में पशुओं और मनुष्यों द्वारा नदी में स्नान किया जाता रहेगा जब तक वाराणसी में गंगा जल पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त नहीं किया जा सकता है । संस्वीकृत स्कीमों के पूरा होने से वाराणसी में गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में काफी मात्रा में सुधार होगा ।

20-सूत्री कार्यक्रम की प्रगति

2220. श्री राम नरेश यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 में जनवरी, 1990 तक 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उनका राज्यवार स्थान क्या रहा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : दो विवरण-पत्र संलग्न हैं ।

अप्रैल, 1989-जनवरी, 1990 की अवधि के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत मासिक प्रवोधन के लिए चयनित की गई 28 मदों के संबंध में राज्यवार निष्पादन अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 154, अनुपत्र संख्या-104] चयनित मदों के निष्पादन के आधार पर उसी अवधि के लिए राज्यों के रैंक विवरण में दर्शाए गए हैं । (नीचे देखिए) ।